[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या **02/**2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली**,** दिनांक 29 जनवरी**,** 2019

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 798 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

I. क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) में मद (ii) को निरसित कर दिया जाएगा;

II. क्रम संख्या 7ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7घ	कोई भी अध्याय	निम्न से भिन्न इनपुट्स या कच्चा माल: - (i) लीथीयम आयन सेल (जो कि टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आता है); और (ii) प्रिंटिड सर्किट बोर्ड एसेंबली (PCBA) (जो कि टैरिफ मद 8507 90 90 के अंतर्गत आता है), सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने के लिए	शून्य	1
7ड.	कोई भी अध्याय	निम्नलिखित सामानों के प्रिंटिड सर्किट बोर्ड एसेंबली (PCBA) (जो कि टैरिफ मद 8507 90 90 के अंतर्गत आता है) के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले इनपुट्स, पुर्जे या उपपुर्जे, यथा: - (i) सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक; (ii) लीथीयम आयन का पावर बैंक	शून्य	1";

III. क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

" निम्नलिखित वस्तुओं से भिन्न कोई भी वस्तुएं, यथा: -

(i) सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक;

(ii) पावर बैंक";

IV. क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"17क	8507 60 00	सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले लीथीयम आयन सेल।	5%	1
17ख	8507 60 00	लीथीयम आयन के पावर बैंक के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले लीथीयम आयन सेल।	5%	1" ;

V. क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"20	8517 62 90 या 8517 69 90	निम्नलिखित वस्तुओं से भिन्न सभी वस्तुएं: - (क) कलाई में पहनी जाने वाली वस्तुएं (सामान्यता जिन्हें स्मार्ट घड़ियों के नाम से जाना जाता है); (ख) आप्टकिल ट्रांसपोर्ट इक्युपमेंट; (ग) एक या एक से अधिक पैक्ट आप्टकिल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट या स्विच (POTP या POTS) का संयोजन; (घ) आप्टकिल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट (OTN); (ड.) आईपी रेडियो; (च) सॉफ्ट स्विचिस और वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) इक्युपमेंट, जैसे कि वीओआईपी फोन, मीडिया गेटवे, गेटवे कंट्रोलर्स और सेशन बार्डर कंट्रोलर्स; (छ) कैरिअर इथरनेट स्विच, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोड (PTN) प्रोडक्ट्स, मल्टीप्रोटोकॉल लेबल्स स्विचिंग ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल (MPLS-TP) प्रोडक्ट्स; (ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (MIMO) और लॉग टर्म इवोलुशन (LTE) प्रोडक्ट्स	10%	-" ;

VI. क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 30 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

[फाइल संख्या 354/418/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 57/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 798(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 75/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 जिसे सा.का.नि. 1028 (अ), दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।